

20/7/2023

पत्रावली पेश (दर) इन्वेक्शन वारी
उपस्थित। तहसीलदार वल्ली के
कार्यालय/शीट/2023/229 दिनांक
20 जून 2023 से मोजा किमाजत
प्रस्ताव प्राप्त हुए जो शामिल मिशन
किमा जति। किमाजत प्रस्ताव प्राप्त
हो जाने से वही प्रकण इन्वेक्शन
वारी हुनी गई। इन्वेक्शन वारी
में निवेदन किमा कि तहसीलदार सह

Emp

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

----- मजदारी

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

सुरेश पुत्र मीनम
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
वार पत्र 217/2022 (2022/683)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

सुरेश
पुत्र
मीनम

वस्ती ग्राम प्रस्तुत मीनम विभाजन
प्रस्ताव अनुजा अन्तिम डिप्टी नारी
किर जाने का आदेश कामयाब जावे।
हमने पत्रपत्नी का इकलौता
किया। प्रमाण में प्रतिवारी सं। के
उपलब्ध नहीं होने से उनके विरुद्ध
एक तरफा भाषावाही के आदेश हुए,
जिनसे वार पत्र का कोई स्पष्टन प्रस्तुत
नहीं होने से दिनांक 02/31/2023 को
प्राथमिक निर्दिष्ट एवं डिप्टी जाये हुए।
तदधीनगत वस्ती ग्राम प्रस्तुत मीनम
विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिप्टी के
अनुजय है। अतः हल्ब विभाजन
प्रस्ताव वारी का वार पत्र कावत
ग्राम चौकुड़ी तदधीन वस्ती की आरजी
(संख्या 62। रकम 0-7800 हे - निम्नागुजा
विभाजन का अन्तिम डिप्टी किया जाता
है।-

क्र.सं.	नाम खतेदार	आ.सं.	रकम	किस्म	(मगात)
1-	सुरेश पुत्र मीनम सा. बन्दरखा खतेदार	62। म.सं. पश्चिम दिशा	0.3650	कीड	0.875
	कीता	1	0.3650		0.875
2-	मीनम पुत्र मीनम सा. बन्दरखा खतेदार	62।म.सं. पूर्वदिशा	0.3650	कीड	0.875
	कीता	1	0.3650		0.875
3-	सामलगत बंदरखुर	62।म.सं. उत्तरीदिशा	0.0500	नाली	-
	कीता	1	0.0500		-

रामचन्द्र कटीका
सहायक कलेक्टर एवं
उपलब्ध अधिकारी
चिर्नोडाह

..... मगात

हुक्म

शुभेष्टा र/ड अमेरिका
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
कार्ड २१५/२०२२ (२०२२/६८३)

उपरोक्त गुण्डार राजस्व रेकार्ड मे
अमरनाथपुर किमा जावे। निर्वाणगुण्डार
डिप्टी जावे की जावे। विभाजन उत्तर
के साथ प्राप्त करवा इल डिप्टी का
पार्ट रहेगा। निर्वाण निश्चय जाकर
उसे इजलास पुगाया गया। पत्रपत्र
के साथ शुमा होकर नामबर से काम हो

३०
(राजचन्द्र खटीका)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

मूल वाद मे डिक्री

18

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़ बईजलास
श्री रामचन्द्र खटीक उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़

1.सुरेश पिता भैरूलाल मीणा नि.बल्दरखा तह.बस्सी व जिला चित्तौड़गढ़

-वादी

बनाम

1.भैरूलाल पिता मंगना मृतक के बजाये :-

1/1 दलीचन्द पिता स्व.भैरूलाल मीणा नि.बल्दरखा तह.बस्सी व जिला चित्तौड़गढ़

2.श्रीमान् तहसीलदार साहब बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़

-प्रतिवादीगण

प्र.स. 217/2022 (GCMS 2022/683)

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53-209 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से स्वयं वादी की ओर से वकील श्री सत्यनारायण भाम्बी की, और प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री - की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि हस्ब विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद पत्र बाबत् ग्राम घोसुण्डी तहसील बस्सी की आराजी संख्या 621 रकबा 0.7800 हे. निम्नानुसार विभाजन का अन्तिम डिक्री किया जाता है :-

क्र. स.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	सुरेश पुत्र भेरु मीणा सा. बल्दरखा खातेदार	621 मे से पश्चिम दिशा	0.3650	बीड	0.875
	कीता	1	0.3650		0.875
2.	भेरु पुत्र मंगना मीणा सा. बल्दरखा खातेदार	621 मे से पूर्व दिशा	0.3650	बीड	0.875
	कीता	1	0.3650		0.875
3.	सामलात बदस्तुर	621 मे से उत्तरी दिशा	0.0500	नाली	-
	कीता	1	0.0500		-

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा।

इस वाद के खर्च - प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा - को दी जावे। यह आज दिनांक 20.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।




रामचन्द्र खटीक
(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

D19



नकल फ़ैच

ग्राम घोसुडी पण्डित:- घोसुडी तहसीली जिला चित्तौड़गढ़



Handwritten signature

~~हेमचन्द्र गाय~~

~~पटवार~~
पटवार

तहसीलदार, बरसी बग्गी जिला-चित्तौड़गढ़
जिला-चित्तौड़गढ़ (उ.प्र.)